

संपादकीय

पुरानी पेंशन की उम्मीद और नई स्कीम का उलझाव

चार लाख कर्मचारियों की आंखें सरकार पर

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रदेश के करीब साढ़े चार लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) देने की तैयारी चल रही है, जो दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कर्मचारी संगठन इस पहल से नाराज हैं और इसे पुरानी पेंशन की बहाली टालने की कोशिश बता रहे हैं। सरकार का तर्क है कि पुरानी पेंशन से राज्य पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है, जो भविष्य में और बढ़ेगा। इसलिए बीच का रास्ता निकालना जरूरी है।

इस विवाद को समझने के लिए तीनों पेंशन योजनाओं का अंतर जानना जरूरी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता था। पूरी राशि सरकार देती थी और महंगाई राहत के साथ पेंशन बढ़ती थी। यह व्यवस्था वर्ष 2005 से चले लाू थी।

इसके बाद नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू हुई। इसमें कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार की ओर से 14 प्रतिशत राशि निवेश की जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद जमा राशि के आधार पर पेंशन मिलती है, जो बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है। इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होने के कारण कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसका विरोध कर रहे हैं।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में पात्र कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन का प्रावधान है। दस वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मचारी को न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। वहीं, 25 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी करने पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन देने का प्रावधान है। इसमें महंगाई राहत का लाभ भी मिलेगा, लेकिन यह व्यवस्था पुरानी पेंशन से अलग है। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति यूपीएस लागू करने से होने वाले वित्तीय भार और कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ का अध्ययन कर रही है। इसके लिए दूसरे राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। सरकार का तर्क है कि पुरानी पेंशन से भविष्य में खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा। दूसरी ओर, कर्मचारियों का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा को केवल वित्तीय बोझ के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। यूपीएस में भी सेवा अवधि की शर्तें हैं। कर्मचारियों को आशंका है कि कम सेवा अवधि में नौकरी छोड़ने या मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की सुरक्षा को लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के सामने चुनौती दोनों पक्षों के हितों में संतुलन बनाने की है। पुरानी पेंशन बहाल करने से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, लेकिन वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यूपीएस लागू करने पर कर्मचारियों की नाराजगी सामने आ सकती है। समिति को वित्तीय आंकड़ों के साथ मानवीय पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। वर्षों तक सेवा करने वाला कर्मचारी बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन की उम्मीद करता है। सरकार को पुरानी पेंशन की बहाली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि यूपीएस लागू की जाती है, तो कर्मचारियों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज की महंगाई में 10 हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त है। इसे बढ़ाकर कम से कम 15 हजार रुपये किया जाना चाहिए और महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए। पेंशन केवल पैसे का मामला नहीं, भरोसे का भी मामला है। सरकार को कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस मुद्दे पर जल्दबाजी के बजाय संवाद और सहमति से फैसला लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा।

आजकल

एसबीआई में सेंध, भरोसे की दीवार में दरार

तीन हजार आठ सौ सत्तानवे नाम नहीं, भरोसे पर चोट

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में ग्राहकों की निजी जानकारी लीक होने का मामला केवल डेटा सुरक्षा की चूक नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के भरोसे पर चोट है। बैंक ने 3,897 ग्राहकों की पहचान से जुड़ी जानकारी लीक होने की बात स्वीकार की है। शुरुआती जांच में करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड खंगाले गए, जबकि हैकर समूह ने 2,722 पीडीएफ फाइलें होने का दावा किया है। 16 अक्टूबर को साइबर सुरक्षा एजेंसियों से अलर्ट मिलने के बाद बैंक ने जांच शुरू करवाई। सवाल है कि बाहरी एजेंसियों के अलर्ट से पहले बैंक की अपनी निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लोक जानकारी में नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, घर का पता, शाखा का विवरण, ग्राहक पहचान संख्या और ऋण संबंधी रिकॉर्ड शामिल बताए गए हैं। जालसाजी की दुनिया में ये जानकारीयें बेहद अहम हैं। इनके आधार पर ठग ग्राहकों को फोन करके बैंक अधिकारी होने का भरोसा दिला सकते हैं और ओटीपी या पासवर्ड हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह डेटा लोक वित्तीय धोखाधड़ी का रास्ता खोल सकता है।

एसबीआई गरीबों, किसानों, मजदूरों, पेंशनभोगियों और जनधन खाताधारकों के लिए भरोसे का प्रतीक है। ऐसे में ग्राहकों की जानकारी डाकें वेब तक पहुंचने की खबर डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पहले भी बैंकों में डेटा सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन हर बार जांच की घोषणा के बाद ग्राहकों को स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाता।

बैंकिंग व्यवस्था में तीसरी कंपनियों की कमजोर सुरक्षा, कर्मचारियों की गतिविधियों की अपर्याप्त निगरानी और असुरक्षित सर्वर जैसी खामियां डेटा लोक का कारण बन सकती हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण जरूरी है। बाहरी कंपनियों का निर्यात सुरक्षा ऑडिट हो, सेवेदनशील जानकारी एन्क्रिप्ट की जाए और डेटा तक पहुंच की निगरानी मजबूत बनाई जाए। ग्राहकों को भी समय रहते स्थानीय भाषा में चेतावनी दी जानी चाहिए। सबसे जरूरी है जवाबदेही। डेटा लोक की सूचना मिलने पर ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी दी जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को पहचान हो। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि मुख्य बैंकिंग सेवाओं पर असर नहीं पड़ा। तकनीकी सुरक्षा चालू रहना और ग्राहकों का भरोसा सुरक्षित रहना दो अलग बातें हैं। एसबीआई को समझना होगा कि उसके पास ग्राहकों का पैसा ही नहीं, उनकी उम्मीदें भी जमा हैं। इस भरोसे की सुरक्षा ही असली बैंकिंग है।

गोपाल कृष्ण खिबर सितंबर

माह में पुणे स्थित महान कार्टूनिस्ट स्वर्गीय आर. के. लक्ष्मण के म्यूजियम के दर्शन का सीभाग्य मिला। एक घंटे तक उनके जीवनकाल में रचे गए विभिन्न आयामों के अद्भुत कार्टूनों को एक साथ देखकर जो अस्फास और अनुभूति हुई, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। स्वर्गीय आर.के. लक्ष्मण ने निर्भीकता से देश की प्रत्येक समस्या को सहजता से कार्टूनों में चित्रित किया। उनकी कल्पनाशीलता का आधार कॉमन मैन इतना सहज था कि अखबार का उनका छोटा-सा कोना आम जनता का प्रतिनिधित्व कर देता था। पाठक समाचार पढ़ने से पहले आर. के. लक्ष्मण के कार्टून से ही समाचार पत्र का श्रीगणेश करता था, जो

लोकतंत्र में आलोचना चिल्लाकर नहीं, मुस्कराकर की जा सकती है

उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण था। आर.के. लक्ष्मण ने 1950 से 2000 तक बिना किसी विग्राम के लगातार सटीक कार्टून रचे। उन्होंने लगभग दो लाख कार्टून बनाए। उनके कार्टूनों में भीड़ नहीं, बल्कि एक अकेला व्यक्ति होता था। उनका नायक कोई नेता नहीं, बल्कि धोती पहने, चश्मा लगाए, गंजा और फूले गालों वाला आदमी था। यह आदमी कभी बोलाता नहीं था, सिर्फ देखता था। मंत्री की कार के पीछे भीड़, भाषण सुनते लोग और चुनावी पोस्टर के नीचे खड़ा उसका मीन ही सबसे बड़ा कटाक्ष था। उनका कहना था कि कॉमन मैन मेरे देश की जनता का प्रतीक है, जो सब देखता है, समझता है, पर कह नहीं पाता।

नईदुनिया

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार की नई उड़ान, पांच सौ अरब की ओर

वाशिंगटन से मुंबई तक चली लंबी बातचीत अब किनारे पर

तीन दिनों तक मुंबई और दिल्ली में चली गहन मंत्रणाओं के बाद अब यह माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका अपने बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह कहना कि दोनों देश समझौते के बिल्कुल करीब हैं, केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है।

मुंबई में हुए फ्रीडम 250 कार्यक्रम में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोरे ने जो लक्ष्य रखा, वह इस बातचीत को और गंभीर बनाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का आपसी व्यापार 240 अरब डॉलर को पार कर चुका है और राष्ट्रपति का निर्देश है कि इसे अगले तीन वर्षों में 500 अरब डॉलर तक ले जाना है। यह लक्ष्य बताता है कि अमेरिका भारत को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है।

यह समझौता केवल व्यापार का नहीं, भरोसे का भी है। अक्सर व्यापार समझौतों को आयात-निर्यात के आंकड़ों से तोला जाता है, लेकिन भारत-अमेरिका का प्रस्तावित समझौता उससे कहीं बड़ा है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, सेमीकंडक्टर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे विषय भी जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बैठक में रूबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत की सामरिक स्वायत्तता का सम्मान करता है और उसकी विदेश नीति पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाता चाहता। यही कारण है कि रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी अमेरिकी रुख में नरमी देखी गई। रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमताओं वाले देशों में शामिल है। वह रूस से कच्चा तेल लेकर उसे शोधित कर दुनिया को उपलब्ध कराता है। इससे वैश्विक तेल बाजार में संतुलन बना रहता है। यह बयान उन आलोचनाओं को विराम देता है, जो भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर की जाती रही हैं।

पिछले दो वर्षों से यह समझौता कई कारणों से अटका हुआ था। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने

आधी आबादी का हक और नक्शे की नई लकीरें

आठ सौ पचास कुर्सियों वाला सपना क्यों चर्चा में है

नई दिल्ली में संसद के गलियारों

में इन दिनों दो शब्द सबसे अधिक गूँज रहे हैं, महिला आरक्षण और परिसीमन। सरकार चाहती है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं और इसी नई व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत जगह सुनिश्चित की जाए। यह योजना सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे संविधान, राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा गणित छिपा हुआ है। सरकार ने इसके लिए तीन विधेयक पेश किए थे, जिनमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बढ़ाने, 2029 से पहले आरक्षण लागू करने और नए सिरे से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के प्रस्ताव थे। हालांकि, आम सहमति नहीं बनने के कारण इन विधेयक वापस लेने पड़े। अब केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू फिर विपक्ष से सहयोग मांग रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर समर्थन की अपील कर रहे हैं। सवाल है कि क्या यह सहयोग इतनी आसानी से मिल पाएगा?

वर्ष 2023 में महिला आरक्षण कानून संसद से पारित हो गया था। देशभर में महिलाओं ने खुशियां मनाई थीं, लेकिन कानून में एक शर्त के कारण इसके लागू होने का इंतजार बढ़ गया। प्रावधान किया गया कि आरक्षण जगणगना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। जगणगना 2021 में होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो सकी और परिसीमन की प्रक्रिया भी लंबित है। इस कारण कानून कागजों पर है, लेकिन जमीन पर लागू नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कानून बनाकर श्रेय तो ले लिया, लेकिन उसे लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई। सरकार का तर्क है कि परिसीमन के बिना आरक्षित सीटें तय करना संभव नहीं है। परिसीमन का अर्थ चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करना है, ताकि प्रतिनिधित्व में संतुलन बना रहे। भारत में आखिरी बार परिसीमन 2008 में हुआ था, जो 2001 की जगणगना पर आधारित था। उस समय तय किया गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी, ताकि परिवार नियोजन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को युक्तिसान न हो।

अब 2026 नजदीक है। यदि जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का पुनर्वितरण किया गया, तो उत्तर भारत के राज्यों में सीटें तेजी से बढ़ सकती हैं, जबकि जनसंख्या नियंत्रण में सफल



कृषि उत्पादों, डेयरी और मेडिकल उपकरणों के बाजार को खोले तथा ई-कॉमर्स और डेटा स्थानीयकरण के नियमों में ढील दे। वहीं, भारत चाहता था कि अमेरिका भारतीय स्टील, एल्युमिनियम और टेक्सटाइल पर लगे अतिरिक्त शुल्क हटाए तथा भारतीय कुशल पेशेवरों के लिए वीजा नियम आसान बनाए।

अब दोनों पक्षों के बीच बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। कुछ अंतिम तकनीकी मुद्दे सुलझने के बाद समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इसकी शर्तों और अंतिम स्वरूप को लेकर आधिकारिक पुष्टि जरूरी होगी।

इस दौरे के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। कुछ अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि अमेरिका ने भारत से यूक्रेन को मिसाइल या गोला-बारूद नहीं देने को कहा है। रूबियो ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है तथा उसे किसे क्या देना है, यह उसका अपना निर्णय है। यह स्पष्टीकरण भारत की

उपायों के भारतीय बाजार में आए, तो स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सरकार को कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और सुरक्षा शुल्क जैसे उपायों पर विचार करना चाहिए। डेटा सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। भारत अपने नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जबकि अमेरिकी तकनीकी कंपनियां इस क्षेत्र में अधिक लचीले नियम चाहती हैं। दोनों पक्षों को संतुलित समाधान निकालना होगा। इस समझौते को केवल द्विपक्षीय नजरिये से देखना भी उचित नहीं होगा। इसका एक बड़ा संदर्भ चीन है। अमेरिका और यूरोप की कई कंपनियां चीन प्लस वन नीति के तहत अपना उत्पादन चीन से हटाकर भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों में ले जान चाहती हैं। यदि भारत अमेरिका के साथ स्थिर और भरोसेमंद व्यापार ढांचा बना लेता है, तो वह इस बदलाव का बड़ा लाभार्थी बन सकता है। एप्पल जैसी कंपनियों ने पहले ही भारत में उत्पादन बढ़ाया है। समझौते के बाद इस प्रक्रिया को गति मिल सकती है।

पिछले दशक में भारतीय विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने किसी एक गुट तक सीमित रहने के बजाय विभिन्न देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध विकसित किए हैं। रूस से तेल खरीदना, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाना, फ्रांस से लड़ाकू विमान लेना और इजराइल से कृषि तकनीक हासिल करना इसी नीति के उदाहरण हैं। मार्को रूबियो का दौरा इसी बहुध्रुवीय कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। कुल मिलाकर, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का यह नया अध्याय केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। यह दो लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का अवसर है। यदि 500 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल होता है, तो इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ते समय भारत को अपने किसानों, छोटे उद्योगों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

हालांकि, हर व्यापार समझौते का संवेदनशील पहलू धेरू उत्पादकों पर उसका असर होता है। भारत में करोड़ों छोटे किसान और लघु उद्योग हैं। यदि अमेरिकी सोयाबीन, मक्का या डेयरी उत्पाद बिना पर्याप्त सुरक्षा

गाजा और वेस्ट बैंक में भुखमरी का साथ, पैतालीस करोड़ डॉलर की गुहार

रोटी के लिए बर्तनों की कतार इंसानियत का इम्तिहान

गाजा, जेरूसलम और वेस्ट बैंक में खाद्य संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि अगर तुरंत मदद नहीं मिली, तो लाखों लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खाली बर्तन लिए लोगों की भीड़ इसी हकीकत को बयां करती है कि कैसे एक पूरा क्षेत्र खाने के एक निवाले के लिए संघर्ष कर रहा है। गाजा में हालात सबसे अधिक चिंताजनक हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार, गाजा में सहायता पाने वाले लोगों की संख्या 16 लाख से घटाकर 11 लाख कर दी गई है, जबकि वेस्ट बैंक में यह संख्या चार लाख से घटाकर दो लाख रह गई है। इसका प्रमुख कारण धन की कमी है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यवाहक प्रमुख कार्ल स्काउ ने बताया कि अगले छह महीनों तक भोजन उपलब्ध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी गई है। उनके अनुसार, गाजा की आबादी में अनुमानित 14 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में वहां खाद्य असुरक्षा दोगुने से भी अधिक हो गई है। अब करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को खाद्य सहायता की जरूरत है। अपने दौरे के दौरान कार्ल स्काउ ने जले हुए जैतून के बागों, शिविरों और गांवों का जायजा लिया। भूख बढ़ने से अस्थिरता का खतरा भी बढ़ रहा है। कार्ल स्काउ ने चेतावनी दी कि खाद्य संकट का असर केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जहां भूख होती है, वहां अस्थिरता पैदा होती है और जहां अस्थिरता होती है, वहां शांति की उम्मीद कम हो जाती है।

वेस्ट बैंक में भी खाद्य संकट तेजी से बढ़ रहा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख के अनुसार, इजराइली बस्तियों के निवासियों को ओर से बढ़ते हमलों ने पहले से मौजूद मानवाधिकार और सुरक्षा संकट को गंभीर खाद्य संकट में बदल दिया है। बस्तियों के विस्तार और फिलिस्तीनियों के इलाकों को अलग करने वाली नीतियों के कारण कई किसान अपने खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैतून के बाग, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत थे, अब उजड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार, गाजा में बच्चों का कुपोषण भी गंभीर चिंता का विषय है। यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम शुरू किए हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में गंभीर होते खाद्य संकट के बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मांग बढ़ रही है, लेकिन दान घट रहा है। कई बड़े दाता देशों ने अपने बजट में कटौती की है, जिसके कारण राशन में कमी करनी पड़ी है। यह सवाल पूरी दुनिया के सामने है कि 21वीं सदी



में भी लाखों लोग भूखे क्यों सो रहे हैं। गाजा में भुखमरी के पीछे कई कारण हैं। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष ने वहां की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। खेत, कारखाने और बाजार तबाह हो चुके हैं। नाकेबंदी और सीमा पर सहायता सामग्री की आवाजाही में बाधाओं के कारण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्राथमिकताओं में बदलाव से भी मानवीय सहायता पर असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन, सूखे और पानी की कमी ने खेती की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुसार, नागरिकों को जानबूझकर भूखा रखना प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने कई बार इजराइल से मानवीय सहायता बिना बाधा पहुंचाने की अपील की है, लेकिन जमीनी हालात अब भी गंभीर बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि केवल आर्थिक मदद से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। 45 करोड़ डॉलर की सहायता से छह महीने तक भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? स्थायी समाधान के लिए युद्ध समाप्त करना और गाजा में शांति बहाल करना जरूरी है, ताकि लोग अपने घर लौट सकें और खेती-बाड़ी फिर शुरू कर सकें। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नियमित सहायता के लिए स्थायी कोष बनाना चाहिए। स्थानीय लोगों को बीज, खाद और पानी उपलब्ध कराकर फिर से खेती के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। खाली बर्तन केवल बर्तन नहीं हैं, वे एक पूरी पीढ़ी की पीड़ा का प्रतीक हैं, जो दुनिया से पृष्ठ रही है कि क्या हम इसान हैं? भूख किसी सीमा को नहीं मारती। इसलिए 45 करोड़ डॉलर की मांग केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा है। गाजा और वेस्ट बैंक का खाद्य संकट केवल एक क्षेत्र का संकट नहीं, बल्कि पूरी मानवता का संकट है। यह याद दिलाता है कि शांति के बिना विकास नहीं हो सकता और भोजन के बिना शांति नहीं हो सकती। आज जरूरत केवल आर्थिक सहायता जुटाने की नहीं, बल्कि उस इच्छाशक्ति को जगाने की है, जो युद्ध रोक सके और हर इंसान तक रोटी पहुंचा सके। यही सच्ची मानवता होगी। (नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

आर. के. लक्ष्मण के कार्टून एवं रेखाचित्र गुरु दत्त की 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 और दूरदर्शन धारावाहिक मालगुडी डेज में भी प्रस्तुत किए गए। उन्हें 2005 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इससे पहले 1973 में उन्हें पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ था। उन्हें अनेक अन्य सम्मान भी मिले। आर. के. लक्ष्मण राजनीति पर कटाक्ष करने वाले वह महान व्यक्तित्व थे, जो कभी बोले नहीं, परंतु सब कुछ कह गए। पुणे के बेलावाडी स्थित उनका म्यूजियम यह संदेश देता है कि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर आलोचना चिल्लाकर नहीं, मुस्कराकर की जाती है। उनका कॉमन मैन आज भी चुपचाप कोने में खड़ा है और पूछ रहा है, ‘You Said It ’, पर किया क्या? (लेखक स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार हैं।)

म्यूजियम के दर्शन करने पर उनके



दल-बदल और अवसरवाद पर उनका प्रसिद्ध कार्टून देखा, जिसमें एक नेता टोपी उतारकर दूसरी पहन रहा है और कॉमन मैन पूछ रहा है, ‘टोपी नई है या रंग बदला है?’ स्वर्गीय आर. के. लक्ष्मण के वर्ष 1975 के दौरान प्रकाशित कार्टून देखकर उनकी निर्भीकता को सलाम करने का मन होता है, क्योंकि आपातकाल में भी वे सरकार के खिलाफ लगातार कार्टूनी प्रकाशित करते